



उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या-7/2026/जी-2-132/दस-2026-216/79
लखनऊ : दिनांक : 02 सितम्बर, 2026
कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153(1) एवं तत्क्रम में निर्गत शासनादेशों के अधीन महिला सरकारी को उनकी सम्पूर्ण सेवाकाल में प्रसूति अवकाश दो बार तक (एक बार में 180 दिवस) की अनुमन्यता कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। उक्त प्रसूति अवकाश के संबंध में प्रतिबन्ध है कि ऐसा अवकाश तब तक स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं होगा जब तक कि इस नियम के अधीन स्वीकृत किये गये पिछले अवकाश के समाप्त होने के दिनांक से 02 वर्ष व्यतीत न हो गये हों।

2- प्रसूति अवकाश नियम में उपरोक्त दो वर्ष की अवधि के अन्तराल संबंधी प्रतिबन्ध/परन्तुक को मैटरनिटी बनेफिट एक्ट, 1961 के नियम-27 के अनुकूल करने एवं राज्य के महिला सरकारी कार्मिकों को इस सम्बन्ध में आ रही कठिनाईयों के निवारण के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि प्रसूति अवकाश नियम के उक्त 02 वर्ष सम्बन्धी प्रतिबन्ध/परन्तुक को विलोपित कर दिया जाय।

3- अतः राज्यपाल महोदय वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के सहायक नियम-153(1) एवं समय-समय पर निर्गत विषयगत कार्यालय-ज्ञापों के शेष अद्यतन शर्तों एवं प्रतिबन्धों को यथावत रखते हुए निम्न प्रतिबन्ध/परन्तुक को एतद्वारा विलोपित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

"परन्तु यह और कि ऐसा अवकाश तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि इस नियम के अधीन स्वीकृत पिछले प्रसूति अवकाश की समाप्ति के दिनांक से कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत न हो जाय"

4- उपर्युक्त संशोधन, शासनादेश लागू होने की तिथि से प्रभावी होगा।

5- संगत अवकाश नियमों में संशोधन यथा समय किया जायेगा।

आज्ञा से,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव

संख्या-जी0-2-132/दस-2026-216/79 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र, लखनऊ।
7. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
8. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उ०प्र०।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, द्वारा निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

अनुराग गुप्ता,
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।